42

न्यायालय : श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक   /2017 / /निगरानी

III/निगरानी/श्योपुर/भू.रा./2017/6219

जाकिर पुत्र कमाल खां जाति गद्दी मुसलमान निवासी बालापुरा तहसील व जिला श्योपुर म.प्र.

.............निगरानीकर्ता

दिनांक 20-12-17 को श्री वीरसिंह जादौन अभि० द्वारा प्रस्तुत/

20-12-17

प० दि० 4-1-2018

बनाम

1–सुरेशचन्द्र पुत्र शिवचरण तिवारी

2–उर्मिलाबाई पत्नी रमेशचन्द्र तिवारी

3–कुमारी आशा पुत्री रमेशचन्द्र तिवारी

4–हेमन्त कुमार पुत्र रमेशचन्द्र तिवारी

5–कुमारी सोनंम पुत्री रमेशचन्द्र तिवारी

6–कुमारी बिन्टू पुत्री रमेशचन्द्र तिवारी

समस्त निवासीयान मेन बाजार श्योपुर

..............गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी अंतर्गत भूराजस्व संहिता की धारा 50 विरूद्व न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण कं. 257/17–18/अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 21.11.17 के विरूद्व

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता की ओर से अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

निगरानी का संक्षिप्त में विवरण:–

यह कि कस्बा श्योपुर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1599 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा जो राजस्व अभिलेख में निगरानीकर्ता, कमाल खां पुत्र जमाल खां जाति गद्दी मुसलमान निवासी ग्राम बालापुरा के नाम पर भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित थी। रेस्पोडेन्टगण ने मौजा पटवारी से सांठागांठ करके सम्बत 2020 से

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/श्योपुर/भू0रा0/2017/6219

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभ आदि के हस्ताक्षर
2-8-18	आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 257/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–11–17 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर तथा आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करते हुये अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 21–11–17 के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त ने आदेश के पद–3 में इस प्रकार निष्कर्ष दिया है :– " रिस्पोडेन्ट ने विवादित भूमि अपीलांट के पिता कमाल खॉ से जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा क. 780 दिनांक 13–12–1965 से कय की है । खसरा संबत 2024 से संबत 2051 लगायत 2055 में रिस्पाण्डेन्ट का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर राजस्व अभिलेख में अंकित है तब भी अपीलांट या उनके पिता कमाल खॉ व्दारा कोई आपत्ति या अपील पेश नहीं की गई। यदि कमालखॉ को कोई आपत्ति होती तो वह अपने जीवनकाल में ही आपत्ति कर सकता था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि विधिवत जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा कय की है राजस्व अभिलेख में वर्तमान में रिस्पाण्डेन्ट का नाम अंकित है अपीलांट इस न्यायालय में स्वच्छ हाथों से न्याय मांगने नहीं आया है। " उपरोक्तानुसार निष्कर्ष देते हुये अपर आयुक्त ने आवेदक की अपील निरस्त की है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि करना नहीं पाया गया है। फलतः विचाराधीन निगरानी निरर्थक पाये जाने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है। सदस्य	